UPAG010058212026

न्यायालय विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0)/
अपर सत्र न्यायाधीश, न्यायालय सं0 8, आगरा
पीठासीन अधिकारी– (रविकान्त–II), (उच्चतर न्यायिक सेवा) – UP06427

जमानत प्रार्थनापत्र सं0–2472/2026

होतम उर्फ चवन्नी पुत्र गुन्ना उर्फ गुन्दो उर्फ प्रेम सिंह, निवासी वरवाला सिंघावली, थाना राजाखेड़ा, जिला धौलपुर। उम्र करीब 27 वर्ष।

..... प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उ0प्र0 राज्य

.....विपक्षी

मु0अ0सं0–357/2017
धारा–392,411 भा0द0सं0
थाना–फतेहाबाद, जिला आगरा।

दिनांक–29.05.2026

यह वारंट जमानत प्रार्थनापत्र प्रार्थी/अभियुक्त **होतम उर्फ चवन्नी** द्वारा मु0अ0सं0 357/2017 धारा 392,411 भा0द0सं0 थाना फतेहाबाद जिला आगरा में जमानत हेतु प्रस्तुत किया गया है। तत्पश्चात यह जमानत प्रार्थना पत्र विद्वान सत्र न्यायाधीश के आदेश के अनुपालन में स्थानान्तरित होकर इस न्यायालय में प्राप्त हुआ है।

प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र उसके भाई परमाल सिंह के शपथपत्र से समर्थित है जिसमें उल्लिखित है कि अभियुक्त का उपरोक्त केस में वारंट के पश्चात यह प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र है।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा तर्क प्रस्तुत किया गया है कि प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त केस में झूठा फंसाया गया है। उसके द्वारा कोई अपराध कारित नहीं किया गया है। कथित केस की एफ0आई0आर0 अज्ञात में दर्ज करायी गयी है। प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा कोई लूट नहीं की गयी है और न ही उसके केस से संबंधित कोई बरामदगी हुयी है। घटना का कोई स्वतन्त्र साक्षी भी नहीं है। प्रार्थी/अभियुक्त उपरोक्त केस में पूर्व से जमानत पर है। उसके विरूद्ध दिनांक 12.09.2025 को वारंट जारी हो गये थे। भविष्य में वह न्यायालय में उपस्थित होता रहेगा तथा अनावश्यक रूप पसे स्थगन नहीं लेगा तथा केस में पूर्ण सहयोग करेगा। वह पूर्व में सजायाफता नहीं है। वह केस के गवाह को डरायेगा, धमकायेगा नहीं। प्रार्थी/अभियुक्त दिनांक 21.05.2026 से

जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है तथा अपनी विश्वसनीय जमानत दाखिल करने को तैयार है। उपरोक्त आधारों पर दौरान मुकदमा अभियुक्त को जमानत पर रिहा किया जाये।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी द्वारा जमानत का विरोध करते हुए कथन किया गया कि अभियुक्त द्वारा जमानत का दुरूपयोग किया गया है। यदि उसे जमानत पर रिहा किया जाता है तो वह पुनः न्यायालय से अनुपस्थित हो जायेगा और वाद के निस्तारण में विलम्ब करेगा। अतः जमानत प्रार्थना पत्र निरस्त किए जाने की याचना की गयी।

प्रार्थी/अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता एवं सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता, फौजदारी को सुना गया तथा पत्रावली का सम्यक परिशीलन किया गया।

पत्रावली के अवलोकन से यह दर्शित होता है कि प्रार्थी/अभियुक्त वर्तमान मामले में पूर्व में जमानत पर था तथा न्यायालय में अनुपस्थित रहने के कारण न्यायालय द्वारा दिनांक 17.09.2025 को उसके विरूद्ध गैर जमानतीय वारंट जारी किये गये थे। तदोपरान्त अभियुक्त न्यायालय से लगातार अनुपस्थित रहा। दिनांक 20.05.2026 को अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता द्वारा न्यायालय में इस आशय का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि अभियुक्त किसी अन्य मामले में जिला कारागार आगरा में निरूद्ध है तथा वर्तमान मामले में उसे जिला कारागार से तलब किये जाने की प्रार्थना की गयी। अभियुक्त को दिनांक 21.05.2026 को जिला कारागार से तलब किया गया तथा वर्तमान मामले में उसका वारंट बनाया गया। अभियुक्त तभी से वर्तमान मामले में जिला कारागार, आगरा में निरूद्ध है। अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता की ओर से कथन किया गया है कि अभियुक्त पुनः इस प्रकार की गलती नहीं करेगा तथा न्यायालय में नियत तिथियो पर उपस्थित होता रहेगा तथा न्यायालय के सभी आदेशो का पालन करेगा।

अतः मामले के समस्त तथ्यों व परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए प्रकरण के तथ्यों के गुणदोष पर बिना कोई राय व्यक्त किये हुए, प्रार्थी/अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र सशर्त स्वीकार किये जाने हेतु पर्याप्त आधार है।

<u>आदेश</u>

अतः प्रार्थी/अभियुक्त **होतम उर्फ चवन्नी** का जमानत प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाता है। प्रार्थी/अभियुक्त के द्वारा मु0 **75,000/– रूपए** का व्यक्तिगत बन्धपत्र व समान धनराशि के दो नवीन प्रतिभू दाखिल करने पर, प्रार्थी/अभियुक्त को निम्न शर्तों के अधीन जमानत पर रिहा किया जाए :

1. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण में सहयोग करेगा।
2. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त दौरान विचारण मामले के साक्ष्य के साथ छेड़छाड़ नहीं करेगा तथा साक्षीगण को प्रभावित नहीं करेगा।

3. यह कि प्रार्थी/अभियुक्त विचारण के दौरान/साक्षी के उपस्थित आने पर न्यायालय के समक्ष व्यक्तिगत रूप से उपस्थित रहेगा तथा अनावश्यक स्थगन नहीं देगा।

4. प्रार्थी/अभियुक्त जमानत का दुरूपयोग नहीं करेगा।

उपरोक्त शर्तों के उल्लघंन की दशा में संबंधित न्यायालय प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत निरस्त करने के लिए स्वतन्त्र होगा।

sd/-

दिनांक–29.05.2026

(रविकान्त–II)
विशेष न्यायाधीश (द0प्र0क्षे0)/
अपर सत्र न्यायाधीश,
न्यायालय संख्या–8, आगरा
जे0ओ0 कोड–UP6427